जून, 2017 माह के दौरान निष्पादन

(i) आयोग ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के 15 अधिकारियों के संबंध में अभियोजन की स्वीकृति जारी करने की सलाह दी थी ।

(ii) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के 30 अधिकारियों के संबंध में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अभियोजन के लिए स्वीकृति जारी की गई थी ।

(iii) आयोग ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के 111 अधिकारियों के विरूद्ध बड़ी शास्ति की कार्यवाहियां प्रारंभ करने की सलाह दी ।

(iv) आयोग ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के 10 अधिकारियों के विरूद्ध बड़ी शास्ति लगाने की सलाह दी ।

(v) आयोग की सलाह पर, सक्षम प्राधिकारियों ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के 89 अधिकारियों के संबंध में बड़ी शास्ति लगाई ।

(vi) मुख्य तकनीकी परीक्षक संगठन द्वारा किए गए 07 कार्य के गहन परीक्षण के परिणामस्वरूप जून, 2017 के दौरान 33.07 लाख रू0 की वसूली की गई ।

(vii) आयोग ने सी.पी.एस.ई. में बोर्ड स्तर की नियुक्तियों के लिए अधिकारियों की सतर्कता निकासी के लिए 20 मामलों में इनपुट उपलब्ध कराए । इसके अतिरिक्त, अखिल भारतीय सेवा तथा केन्द्रीय सेवा के 191 अधिकारियों को सूचीबद्ध करने, पदोन्नति आदि के मामले में सतर्कता निकासी के संदर्भों पर विचार किया गया था तथा आयोग द्वारा इनपुट उपलब्ध कराए गए थे ।

(viii) 25 अधिकारियों को विभिन्न संगठनों में पूर्णकालिक/अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी के पद पर नियुक्त/सूचीबद्ध करने के लिए विचार किया गया था तथा आयोग द्वारा सिफारिश की गई थी ।

******

महत्वपूर्ण गतिविधियां:

(i) श्री के. वि. चौदरि, केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त ने 01.06.2017 को वाशिंगटन, डी.सी. में वर्ल्ड बैंक द्वारा आयोजित "वर्कशाप ऑन टैक्स एंड एसेट रिकवरी" में भाग लिया।

(ii) श्री के. वि. चौदरि, केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त 19 - 23 जून, 2017 को वियना में आयोजित एट्थ सेशन ऑफ इम्पलीमेंटेशन रिव्यू ग्रुप ऑफ यू.एन.सी.ए.सी. में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

(iii) डा0 नसीम जैदी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने 29 जून, 2017 को "पॉलिटिकल फाइनेंस एंड सम इम्पलीकेशन" विषय पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग की मासिक व्याख्यान श्रृंखला में व्याख्यान दिया।

****

(जून - 2017)

II. दंडात्मक कार्रवाई

अन्वेषण/जाँच के दौरान दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरूद्ध आयोग दंडात्मक कार्रवाई जैसे अभियोजन अथवा अनुशासनिक कार्रवाई की सलाह देता है । यह संबंधित संगठन (अनुशासनिक प्राधिकारी) का उत्तरदायित्व है कि आयोग की सलाह पर आधारित शास्ति लगाए । आयोग द्वारा निम्नलिखित सलाह दी गई :

(क) अभियोजन

1. अभियोजन चलाने के लिए आयोग की सलाह का संगठन-वार विवरण
2. आयोग की सलाह पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत अभियोजन
3. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा रिपोर्ट की गई अभियोजन की स्थिति (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत)

- 52 मामलों में अभियोजन की स्वीकृति /अस्वीकृति हुई।
- 68 मामलों में 79 आरोप पत्र दाखिल किए गए।

(ख) अनुशासनिक कार्रवाई

1. कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए आयोग द्वारा निम्नलिखित सलाह दी गई :

सलाह की प्रकृति	मामलों की संख्या	
	प्रथम चरण की सलाह	द्वितीय चरण की सलाह
बड़ी शास्ति	111	10
लघु शास्ति	45	8
प्रशासनिक कार्रवाई/ चेतावनी/सावधान करना आदि	39	2
मामला बन्द करना/दोषमुक्ति	144	17
आयोग द्वारा कार्रवाई किए गए कुल मामले	339	37

2. केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह के आधार पर संगठन द्वारा की गई कार्रवाई

की गई कार्रवाई की प्रकृति	अधिकारियों की संख्या
बड़ी शास्ति लगाई गई	89
लघु शास्ति लगाई गई	100
केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह का पालन नहीं किया गया	0

केन्द्रीय सतर्कता आयोग	
ऐसे मामलों का विवरण जहां आयोग ने अभियोजन की स्वीकृति जारी करने की सलाह दी है	
माह	जून - 2017

क्र.सं.	विभाग	अधिकारी का नाम	पदनाम	सलाह की तिथि
1	डाक विभाग	के सुधीर बाबू	एसएसपीओएस	02/06/2017
2	डाक विभाग	के सुधीर बाबू	एसएसपीओएस	02/06/2017
3	डाक विभाग	के सुधीर बाबू	एसएसपीओएस	02/06/2017
4	डाक विभाग	के सुधीर बाबू	एसएसपीओएस	02/06/2017
5	आर्थिक कार्य विभाग	राम निवास	सहायक	30/06/2017
6	रेल मंत्रालय	हरीश चन्द्र	तत्कालीन उप निदेशक	06/06/2017
7	रेल मंत्रालय	शेख नजीर	तत्कालीन उप निदेशक	06/06/2017
8	रेल मंत्रालय	प्रेमानंद मैत्रा	तत्कालीन आईई राइट्स	06/06/2017
9	रेल मंत्रालय	आशुतोष पाल	तत्कालीन एसएसई	06/06/2017
10	रेल मंत्रालय	मनवेन्द्र सिंह	वरिष्ठ डीईएन	14/06/2017
11	रेल मंत्रालय	सुरेश सिंह	डीईएन	14/06/2017
12	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	बी पी वालिम्बे, आईएफएस	अपर जनजातीय आयुक्त	02/06/2017
13	कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	नीरज कुमार पवन	आईएएस(आरजे:2003)	30/06/2017
14	कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	टी ओ सूरज	आईएएस(केएल:98)	23/06/2017
15	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड	जितेन्द्र प्रताप सिंह	अपर आयुक्त	22/06/2017

(जून - 2017)

सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत अभियोजन

क्र.सं	संगठन का नाम	अधिकारियों की संख्या
1.	रेल मंत्रालय	5
2.	भारतीय जीवन बीमा निगम	1
3.	परमाणु उर्जा विभाग	1
4.	औद्यागिक नीति तथा संवर्धन विभाग	1
5.	वाणिज्य मंत्रालय	1
6.	पावर ग्रिड का0 ऑफ इंडिया लि0	15
7.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	1
8.	दिल्ली जल बोर्ड	3
9.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	2
	कुल	30

केन्द्रीय सतर्कता आयोग	
आयोग द्वारा सिफारिश की गई सलाह (प्रथम चरण)	
सलाह कोड:	बड़ी शास्ति
माह के लिए:	जून, 2017

क्र.सं.	विभाग	कुल
1	प्रसार भारती	5
2	दिल्ली नगर निगम पूर्वी दिल्ली	3
3	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	1
4	सिंडिकेट बैंक	24
5	पंजाब नेशनल बैंक	8
6	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	8
7	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	5
8	ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स	4
9	इंडियन ओवरसीज बैंक	3
10	बैंक ऑफ इंडिया	2
11	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	2
12	आंध्रा बैंक	1
13	सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	1
14	इंडियन बैंक	1
15	रक्षा उत्पादन विभाग	4
16	रेल मंत्रालय	13
17	शहरी विकास मंत्रालय	2
18	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड	5
19	नई दिल्ली नगर पालिका परिषद	5

20	नेशनल इंश्योरेंस कं0 लि0	2
21	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड	1
22	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो	1
23	चैन्नई पत्तन न्यास	1
24	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	1
25	भारतीय जीवन बीमा निगम लि0	1
26	ऑयल एंड नेचुरल गैस का0 लि0	4
27	भारतीय राज्य व्यापार निगम	3
	कुल	111

केन्द्रीय सतर्कता आयोग	
आयोग द्वारा सिफारिश की गई सलाह (द्वितीय चरण)	
सलाह कोड:	**बड़ी शास्ति**
माह के लिए:	**जून - 2017**

क्र.सं.	विभाग	अधिकारियों का नाम	पद	सलाह भेजने की तिथि
1	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	डा0 कोबू खटे	फार्म प्रबंधक	14/06/2017
2	पंजाब नेशनल बैंक	सुश्री कल्पना मीना	प्रबंधक	23/06/2017
3	दूरसंचार विभाग	अत्ता हुसैन	फोन मैकेनिक	14/06/2017
4	कृषि अनुसंधान विभाग	डी के पाल	सहायक निदेशक	22/06/2017
5	संस्कृति विभाग	वीना सहरावत	लेडी वार्डन	27/06/2017
6	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय	वेंकटारामन परमेश्वरन	तत्कालीन निदेशक	12/06/2017
7	रेल मंत्रालय	राजेश पाठक	सीएफटीएम	08/06/2017
8	रेल मंत्रालय	अविनाश कुमार	तत्कालीन एडीईएन	23/06/2017
9	रेल मंत्रालय	डा0 सविता एम गंगुर्दे	वरिष्ठ डीएमओ	29/06/2017
10	रक्षा मंत्रालय	आर के अग्रवाल	एईई(सिविल)	27/06/2017

(जून - 2017)

III. निवारक कार्रवाई

संगठनों में भेद्यताओं, नीतियों, प्रणालियां तथा ऐसी प्रक्रियाएं जो भ्रष्टाचार का खतरा उत्पन्न करती हैं, के बारे में संगठनों को सतर्क करने के लिए आयोग द्वारा समय-समय पर परामर्श जारी किए गए हैं ।

1. आयोग ने दिनांक 14.06.2017 के अपने परिपत्र सं0 06/06/17 द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सभी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों तथा मुख्य सतर्कता अधिकारियों को धोखाधड़ी के मामलों की पुलिस/ राज्य सीआईडी/राज्य पुलिस के आर्थिक अपराध स्कंध को रिपोर्ट करने के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया था।

सं-007/वीजीएल/050
केन्द्रीय सतर्कता आयोग
*****

सतर्कता भवना, ब्लॉक-ए,
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए., नई दिल्ली
दिनांक : 14.06.2017

परिपत्र सं0 06/06/17

विषय: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा धोखाधड़ी के मामलों की पुलिस/ राज्य सीआईडी/राज्य पुलिस के आर्थिक अपराध स्कंध को रिपोर्ट करना।

आयोग के दिनांक 03.01.2008 के परिपत्र सं0 3/1/08 के पैरा 3 में समाविष्ट वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा वित्तीय धोखाधड़ियों वाले मामलों की स्थानीय पुलिस को रिपोर्ट करने के संबंध में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संबंधित शाखा द्वारा स्थानीय पुलिस को 10,000/- रू0 से अधिक किन्तु 1,00,000/- रू0 से कम मूल्य के मामलों की रिपोर्ट करना आवश्यक है।

2. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा ऐसे मामलों की रिपोर्ट करने में हो रही व्यवहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके यह निर्णय लिया है कि 10,000/- रू0 से अधिक तथा 1,00,000/- रू0 से कम मूल्य के धोखाधड़ी मामलों में यदि बैंक का स्टाफ शामिल है, केवल तभी संबंधित बैंक शाखा द्वारा स्थानीय पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट/शिकायत करने की आवश्यकता है।

ह0/-
(जे. विनोद कुमार)
निदेशक

सेवा में

i. **सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष तथा प्रबंधक निदेशक।**
ii. **सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुख्य सतर्कता अधिकारी।**

प्रति सूचनार्थ:

i. **मुख्य सतर्कता अधिकारी, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली।**
ii. **भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, मुंबई।**
iii. **संयुक्त निदेशक(नीति), केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली।**

(जून - 2017)

IV. सार्वजनिक प्रापण की कार्यों सहित तकनीकी जाँच

गतिविधि	माह के दौरान	संचयी
आयोग को प्रस्तुत की गई तकनीकी जाँच रिपोर्ट	07	21
मुख्य तकनीकी परीक्षक के अन्वेषणों के परिणामस्वरूप वसूली	रू0 33.07 लाख	रू0 1773.14 लाख

(जून - 2017)

V. माह के दौरान अन्य गतिविधियां

1. सी.पी.एस.ई. में बोर्ड स्तर नियुक्तियों के लिए आयोग ने 20 मामलों में अधिकारियों के लिए सतर्कता निकासी प्रदान करने की कार्रवाई की । इसके अतिरिक्त, सूचीबद्ध, पदोन्नति करने आदि के मामलों में अखिल भारतीय सेवा तथा केन्द्रीय सेवा अधिकारियों के 191 संदर्भों पर सतर्कता निकासी के लिए विचार किया गया तथा आयोग द्वारा कार्रवाई की गई थी ।

2. विभिन्न संगठनों में पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारियों के पद पर नियुक्ति/सूचीबद्ध करने के लिए 25 अधिकारियों पर विचार किया गया था तथा आयोग द्वारा सिफारिश की गई थी ।

3. मुख्य सतर्कता अधिकारियों के पदों को भरे जाने में विलंब: इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लि0, जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास, दिल्ली जल बोर्ड, गोवा शिपयार्ड लि0, एनटीपीसी लि0, महानगर टेलीफोन निगम लि0, एयर इंडिया लि0, भारत पैट्रोलियम का0 लि0, हुडको तथा भेल में मुख्य सतर्कता अधिकारी के पद को भरे जाने में लगातार विलंब पर आयोग को गहरी चिन्ता है।